

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

जनपद मथुरा में मथुरा-सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0-102) कि0मी0-11 (चैनेज-10.765) के खसरा संख्या-177 मार्ग के बॉयी पटरी पर ग्राम मुबारकपुर बॉगर पर (बी0पी0सी0एल0) न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निम्नण हेतु 0.03678 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

17.	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।	
18.	(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाएं और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाएं।	C.F. Misra की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर :- 27/1/2020

Pankaj Misra
 नाम :- Conservator of Forest/Nodal Officer
 Forest Conservation Act. 1980
 U.P. Lucknow

सरकारी मुहर :-

तिथि :- 27/1/2020

दिनांक :-